समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, शिविर, भोपाल

पुनरीक्षण क्रमांक - - - /२०१३

आशीष गुप्ता आ० श्री बालकृष्ण गुप्ता
निवासी नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ - - - - - आवेदक

विरुद्ध

१- म०प्र० शासन,
२- मो० हफीक आ० मो० सिद्दीकी राजगढ़,
३- रोडजी आ० श्री कालू,
४- शाहनाज बानो, नैना, काले खां, मेहमूद खां
सितारा बानो, हमीदा उर्फ सलमानी पुत्र
काले खां,
५- गिरधारी आ० नाथू,
समस्त निवासीगण ग्राम बांसखेड़ी तहसील
व जिला राजगढ़ - - - - - - - - - - अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प० भू-राजस्व संहिता, १९५९

महोदय,

आवेदक न्यायालय अपर कलेक्टर राजगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक - ४४/अ-१९/११-१२ में पारित आदेश दिनांक २९-८-१३ से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।

---०००---

:: तथ्य ::

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार राजगढ़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अनावेदक क्रमांक २ से ५ तक भूमि का पट्टा दिया गया था उनके द्वारा उक्त भूमि आवेदक को विक्रय कर दी गई उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में स्वप्रेरणा निगराजी दर्ज कर आलोच्य आदेश पारित किया गया, अतः यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है।

:: आधार ::

१- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधान एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्ती योग्य है

---२

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–615–तीन / 2014 जिला–राजगढ़

आशीष गुप्ता विरूद्ध म.प्र. शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर राजगढ़, जिला–राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 44 / अ–19 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 29–08–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 23–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 29/5/19 सदस्य	